



राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

XII वीं पंचवर्षीय योजना हेतु
परिचालनात्मक दिशानिदेश

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार
2014

विषयवस्तु

1	प्रस्तावना	1
2	आरकेवीवाई का उद्देश्य	1-2
3	पात्रता मापदंड एवं निधियों का अंतर राज्य आवंटन	2-3
4	कार्यक्रम घटक (स्ट्रीम)	4-6
5	जिला व राज्य कृषि योजनाएं	6-8
6	राज्य स्तर परियोजना जाँच समिति (एसएलपीएससी)	8-9
7	राज्य स्तर स्वीकृति समिति (एसएलएससी)	9-10
8	परियोजनाओं की तैयारी एवं स्वीकृति	10-12
9	आरकेवीवाई का आयोजन एवं कार्यान्वयन	12-13
10	निधियों की निर्मुक्ति	13-14
11	प्रशासनिक खर्च एवं आकस्मिकताएं	14-15
12	निगरानी एवं मूल्यांकन	15-16
13	समाभिरूपता	16-17
	परिशिष्ट	
	परिशिष्ट-क राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निधियों के आवंटन हेतु कम्प्यूटिंग पात्रता ।	18
	परिशिष्ट-ख राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निधियों का अंतराज्य आवंटन	19-20
	परिशिष्ट-ग 1 आरकेवीवाई के तहत फोकस का क्षेत्र (उत्पादन वृद्धि)	21-22
	परिशिष्ट-ग 2 परियोजनाएं जिन्हें आरकेवीवाई के तहत पोषित किया जा सकता है, की निदर्शी सूची	23-27
	परिशिष्ट-घ परियोजना जो आरकेवीवाई के तहत वित्त-पोषित नहीं की जानी चाहिए की निदर्शी सूची	28
	परिशिष्ट-ड. राज्य स्तर मंजूरीदाता समिति का गठन (एसएलएससी)	29
	परिशिष्ट-च उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र	30
	परिशिष्ट-छ पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए निधि के प्रभावी, अंतरण कार्य और कर्मियों का संस्तुत कार्यकलाप मानचित्रण	31-32

प्रस्तावना

1.1 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने के लिए 29 मई, 2007 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने यह पाया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) योजना की शुरुआत की जानी चाहिए।

1.2 उपर्युक्त प्रेक्षण के अनुसरण में और योजना आयोग के साथ परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी जो तब से प्रचालन में है।

1.3 11वीं योजना के दौरान राज्यों को 22,408.76 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए थे जिसमें से कुछ वृहद श्रेणियों नामतः फसल विकास, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विपणन एवं फसलोपरांत प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी विकास, मात्स्यिकी, विस्तार आदि में 5768 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 21,586.6 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।

1.4 इस बढ़े हुए निवेश के परिणाम स्वरूप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.46 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर की तुलना में 11वीं योजना के दौरान 3.64 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है।

1.5 राज्यों से प्राप्त फीडबैक, 11वीं योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों और पणधारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के आधार पर आरकेवीवाई के प्रचालन दिशानिदेशों को न केवल कार्यक्रम की दक्षता एवं क्षमता के लिए बल्कि 12वीं योजना अवधि के दौरान इसकी समग्रता के लिए भी संशोधित किया गया है।

2. आरकेवीवाई के उद्देश्य

2.1 आरकेवीवाई का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना और उसको बनाए रखना है।

2.2 संक्षेप में योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- 1) राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके।
- 2) राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना।
- 3) कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएं बनाई जाएं, यह सुनिश्चित करना ।
- 4) यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताएं/फसलों/ प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।
- 5) केंद्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- 6) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
- 7) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र प्रकार से समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में परिवर्तन लाना।

3.0 पात्रता मापदंड एवं निधियों का अंतर राज्य आवंटन:

3.1 आरकेवीवाई राज्य योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित करने हेतु जारी रहेगी। योजना आयोग द्वारा बताई गई संबद्ध क्षेत्रों की सूची क्षेत्रीय व्यय अर्थात् सस्यपालन (बागवानी सहित), पशु पालन और मात्स्यिकी, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, वानिकी एवं वन्य जीव, रोपण एवं कृषि विपणन, खाद्य भंडार एवं भांडागार, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थान, अन्य कृषि कार्यक्रम और सहकारिता के निर्धारण के लिए आधार होगा । इसके अलावा ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास से संबंधित हैं अर्थात् पिछले ट्यूब वेल, गहरे ट्यूब वेल, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंगकलग इरिगेशन, डग वेल अथवा इसी प्रकार के अन्य सिंचाई कार्यकलाप जो राज्य के कृषि विभागों के तहत बजटित हैं, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ प्रशासनिक इकाइयों द्वारा व्यय के प्रमाणित आंकड़ों पर भी बेस लाइन व्यय की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए।

3.2 पात्रता मापदंड: कोई राज्य आरकेवीवाई आवंटन प्राप्त करने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब:

(क) कुल राज्य योजना (आरकेवीवाई निधियों को छोड़कर) व्यय में राज्य का कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का बेस लाइन अंश कायम रखा गया हो; और

(ख) जिला कृषि योजनाओं (डीएपी) एवं राज्य कृषि योजनाओं (एसएपी) का गठन किया गया हो।

व्यय का बेस लाइन स्तर पिछले वर्ष के तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान कृषि एवं अन्य अभिज्ञात संबद्ध क्षेत्रों पर वहन किए गए व्यय का न्यूनतम प्रतिशत होगा। राज्य को पात्र होने के लिए "पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं अन्य अभिज्ञात संबद्ध क्षेत्रों में व्यय का औसत प्रतिशत अंश" को कम से कम बेस लाइन स्तर (परिशिष्ट -क पर दिया गया है) के बराबर होना चाहिए।

3.3 अंतर राज्य आवंटन: एक बार यदि राज्य आरकेवीवाई के तहत निधियों को प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है तो सहायता की मात्रा (अथवा निधि आवंटन) और राज्यों को उसके पश्चात आवंटन की प्रक्रिया परिशिष्ट-ख में दिए गए पैरामीटर एवं संबद्ध भार (महत्व) के अनुसार होगी।

3.4 ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जब कोई राज्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर अल्प व्यय के कारण उत्तरवर्ती वर्ष में आरकेवीवाई के तहत निधियों को प्राप्त करने हेतु अपात्र हो जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार के राज्य को आरकेवीवाई के तहत स्वीकृत/ जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करने की आवश्यकता होती है।

3.5 आरकेवीवाई निधियों राज्यों को 50 प्रतिशत की दो किस्तों में उपलब्ध कार्रवाई की जाएगी। पात्रता एवं अंतर राज्य आवंटन मापदंडों को आरकेवीवाई विशेष योजनाओं के तहत निधियां प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

3.6 निधियों की निर्मुक्ति केवल राज्य सरकार को की जाएगी और राज्य अपनी स्वयं के संसाधनों से आरकेवीवाई परियोजनाओं को पूरित कर सकते हैं।

4.0 कार्यक्रम घटक (स्ट्रीम)

4.1 केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप राज्यों को निम्नलिखित स्ट्रीम के लिए आरकेवीवाई निधियां प्रदान की जाएंगी :-

(क) 35 प्रतिशत वार्षिक परिव्यय से आरकेवीवाई (उत्पादन में वृद्धि)

(ख) 35 प्रतिशत के वार्षिक परिव्यय से आरकेवीवाई (अवसंरचना व परिसम्पत्तियां)

(ग) 20 प्रतिशत के वार्षिक परिव्यय से आरकेवीवाई (विशेष स्कीमें; और)

(घ) 10 प्रतिशत के वार्षिक परिव्यय से आरकेवीवाई (फ्लैकसी निधि) (राज्य इस आवंटन से उत्पादन वृद्धि अथवा अवसंरचना व परिसम्पत्ति परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं जो राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं/ प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

4.2 आरकेवीवाई (उत्पादन वृद्धि) : इस स्ट्रीम के अंतर्गत राज्य कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई भी परियोजना शुरू कर सकते हैं। इसमें सामान्यतया कृषि आदानों, विस्तार, मृदा स्वास्थ्य, पादप स्वास्थ्यव समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम), बीजों का उत्पादन व वितरण, पशुपालन, डेयरी व मात्स्यिकी, पणधारियों का प्रशिक्षण व दक्षता विकास, उत्पादन विशिष्ट परियोजना, सूचना प्रचार-प्रसार आदि सहित सभी खाद्य फसल का कार्यकलाप शामिल हैं। आरकेवीवाई के तहत प्रस्तावित परियोजनाएं (उत्पादन वृद्धि) सामान्य रूप से जिला व राज्य कृषि योजनाओं में प्रदर्शित होंगी। इस स्ट्रीम के मुख्य केन्द्र के 4 व्यापक क्षेत्र परिशिष्ट ग-1 पर है।

4.3 आरकेवीवाई (अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियां): इस स्ट्रीम के अंतर्गत परियोजनाएं राज्य कृषि अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एसएआईडीपी) में प्रदर्शित होगी। (कृपया पैरा 5.7 का संदर्भ लें)। इसमें सामान्यतः अवसंरचना की सामान्य आवश्यकता, उनकी वास्तविक उपलब्धता तथा राज्यों में कृषि अवसंरचना में अंतर नामतः प्रयोगशालाओं की स्थापना व परीक्षण सुविधा है, शीत भंडारों सहित भण्डारण, मोबाइल वैन, कृषि विपणन आदि के आधार पर चुनी गई परियोजनाएं शामिल होंगी। संभावित अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियों जिन्हें इस स्ट्रीम के अंतर्गत

वित्त पोषित किया जा सकता है, की निदर्शी सूची परिशिष्ट ग-2 पर दी गई है। राज्य सरकारों, निजी, सार्वजनिक-निजी व निजी क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकताओं के लिए क्षेत्रीय वर्गीकरण का निर्धारण करेंगी तथा तदनुसार, व्यवहार्यता अंतर जो वित्तीय विश्लेषण पर आधारित होगा, को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना में वित्त पोषण अंतर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी तथापि किसी भी मामले में राजसहायता को कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत सीमित किया जायेगा। चूँकि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) तथा वित्त मंत्रालय के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के अंतर्गत कई अवसंरचनात्मक मदों को शामिल किया जाता है, आरकेवीवाई निधियां उन स्रोतों को पूरित करेंगी न कि उन्हें प्रतिस्थापित करेंगी। किसी भी मामले में आरकेवीवाई के अंतर्गत सहायता की मात्रा वीजीएफ के अंतर्गत सहायता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.4 आरकेवीवाई (विशेष स्कीमें) : इसमें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित राष्ट्रीय प्राथमिकता पर आधारित स्कीमें शामिल होंगी। यदि भारत सरकार किसी वर्ष में किसी विशेष उप-स्कीम (पिछले साल की उप-स्कीमों को जारी नहीं रखती है) अथवा ऐसी विशेष उप-स्कीमों जिनमें उस वर्ष के लिए निर्धारित आरकेवीवाई बजटीय आवंटन की कमी है, के लिए निर्धारित सकल राशि की घोषणा नहीं करती है, तो शेष राशि आरकेवीवाई (उत्पादन वृद्धि स्ट्रीम) निधियों को अतिरिक्त रूप से आवंटित कर दी जायेगी।

4.5 आरकेवीवाई (उत्पादन वृद्धि) व आरकेवीवाई (अवसंरचना व परिसम्पत्ति) स्ट्रीम के अंतर्गत राज्य उचित घटक/ कार्यकलाप का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि ये पर्याप्त रूप से एसएपी व डीएपी में प्रदर्शित हों। कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी व मात्स्यिकी; भू संसाधन विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आदि द्वारा प्रशासित स्कीम (स्कीमों) में पहले से ही विस्तृत दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन समान कार्यकलापों/ परियोजना घटकों के लिए कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि, राज्यों को परिशिष्ट-घ में यथा निदर्शित कार्यकलापों/ घटक नहीं करने चाहिए।

4.6 लागत के मानदण्ड व सहायता का पैटर्न : आरकेवीवाई के तहत प्रस्तावित कार्यकलापों/ घटकों विशेष रूप से उत्पादन वृद्धि स्ट्रीम के तहत कार्यकलापों/ घटकों को सामान्यतया सरकार नामतः कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी व मात्स्यिकी विभाग,

भू संसाधन विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि की विभिन्न जारी स्कीमों/ कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन घटकों जिन्हें विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों में विनिर्धारित किया गया है, के लिए तकनीकी आवश्यकताओं / मानक व वित्तीय प्रतिमान (लागत मानक व सहायता का पैटर्न) आदि आरकेवीवाई के लिए भी लागू होंगे। केन्द्रीय योजना स्कीम में किसी घटक के संबंध में ऐसे किसी मानदण्ड की अनुपस्थिति में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्कीमों के लिए विनिर्दिष्ट मानदण्ड व शर्त लागू की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां केन्द्र/ राज्य सरकार के मानदण्ड उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे प्रत्येक मामले में राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति (एसएलपीएससी) प्रस्तावित परियोजना लागत के तर्कसंगतता प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगी व साथ ही उसके कारणों का विवरण देगी। ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (पैरा 6.1 से 6.3 का संदर्भ लें)

5.0 जिला व राज्य कृषि योजनाएं :

5.1 जिला व राज्य कृषि योजनाएं इस स्कीम के नियोजन व कार्यान्वयन की आधारशिला बनी रहेंगी।

5.2 जिला कृषि योजनाएं (डीएपी) जिला विकास योजना के लिए अनिवार्य है। बारहवीं योजना के दौरान अन्य जारी राज्य स्कीमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) व पिछड़ा जिला अनुदान कोष (बीआरजीएफ), समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), भारत निर्माण आदि (राज्य व केन्द्रीय दोनों) से उपलब्ध संसाधनों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक जिले में डीएपी होगी। डीएपी वर्तमान स्कीमों का सामान्य समुच्चयन नहीं होगा बल्कि इसका लक्ष्य जिले के कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता का प्रक्षेपण होगा। ये योजनाएं जिले के समग्र विकास परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए संदृश्य प्रस्तुत करेगी। डीएपी व्यापक तरीके से कृषि विकास योजनाओं के स्रोतों के अलावा अपनी वित्तीय जरूरतें भी प्रस्तुत करेगी। चूंकि आरकेवीवाई उद्देश्यों की उपलब्ध समुचित जिला योजनाओं का परिणाम है, इन आवश्यकताओं को जहां तक संभाव हो सके राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए। राज्यों को जिला योजना के लिए उनके द्वारा विकसित संस्थागत तंत्रों

को विनिर्दिष्ट करना होगा और वार्षिक योजना कवायद के स्तर पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। डीएपी में प्रत्येक जिले में प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और मत्स्य पालन विकास सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण विकास कार्यों, कृषि विपणन स्कीमों और जल संचयन एवं संरक्षण स्कीमों इत्यादि को शामिल किया जाएगा।

5.3 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) द्वारा पहले से तैयार की गई जिला स्तर संभावना संबद्ध क्रेडिट योजना (पीएलपी) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) की कार्यनीतिक अनुसंधान एवं विकास योजना (एसआरईपी) को डीएपी के संशोधन के लिए निर्दिष्ट की जा सकती है। यह भी सुनिश्चित की जाए कि पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सौंपी गई भूमिका के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिबिन्दुताओं के लिए कार्यनीतियों को समुचित रूप से डीएपी में समाविष्ट कर लिया गया है। राज्य डीएपी और एमएपी को संशोधित/ अद्यतन करने के लिए सलाहकारों/ परामर्श एजेंसियों को भी लगा सकता है।

5.4 प्रत्येक राज्य जिला योजनाओं को एकीकृत करके 12वीं योजना के लिए एक व्यापक राज्य कृषि योजना (एसएपी) भी रखेगा। एसएपी को उन संसाधनों को निप्रवाद रूप से दर्शाना होगा जिनका राज्य से जिलों तक प्रवाह किया जा सकता है।

5.5 कई राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ग्यारहवीं योजना के लिए पहले ही व्यापक जिला और राज्य कृषि योजनाएं तैयार कर चुके हैं, जिन्हें राज्य की योजना अवधि के लिए प्रस्तावित संशोधन और आविर्भावित आवश्यकताओं को देखते हुए 12वीं योजना के दौरान आरकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए समुचित रूप से संशोधित और अद्यतन किया जाना चाहिए।

5.6 एसएपी का संशोधन और अद्यतनीकरण एक दो-रास्ते प्रक्रिया हो सकती है। पहले, राज्य नोडल विभाग (या कृषि विभाग) प्रथम दृष्टि में डीएपी को संशोधित प्राप्त कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य की प्राथमिकताएं समुचित रूप से जिला योजनाओं में शामिल की गई हैं। राज्यों को संविदा के स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिलों की आवश्यकताओं और राज्य की प्राथमिकताओं को समुचित रूप से लिया गया है और डीएपी में समाविष्ट किया गया है। वैकल्पिक रूप से, राज्य नोडल एजेंसी प्रथम दृष्टि से जिलों को सूचित कर सकती है, राज्य प्राथमिकताओं जो संबंधित जिला योजनाओं में प्रदर्शित करना चाहिए और जिले इन्हें अपनी अद्यतन योजनाओं में समाविष्ट कर सकते हैं।

5.7 डीएपी की तैयारी/ संशोधन विस्तृत, थकाऊ और पुरावृत्तीय प्रक्रिया है और राज्य नोडल विभाग और जिला कृषि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए सावधानी रखे जाने की आवश्यकता है कि इन योजनाओं ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के संपूर्ण स्वरंगाम को शामिल किया है।

5.8 राज्य कृषि अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एसएआईडीपी): प्रत्येक राज्य को आरकेवीवाई (अवसंरचना एवं संपत्तियों) शाखा के लिए परियोजनाओं के स्थान अभिज्ञात करने के लिए डीएपी और एसएपी के समान तरीके से एसएआईडीपी तैयार करने की आवश्यकता होगी।

एसएआईडीपी में डीएपी और एसएपी में अभिज्ञात की गई अवसंरचना की आवश्यकता का आदर्शतः समेकन होना चाहिए।

5.9 राज्य योजना विभाग राज्य की वार्षिक राज्य योजना कवायद के भाग के रूप में कृषि विभाग (डीएपी) और योजना आयोग को संशोधित/ अद्यतन एसएपी और एसएआईडीपी उपलब्ध करेगा।

6.0 राज्य स्तर परियोजना जाँच समिति (एसएलपीएससी)

6.1 राज्य स्तर परियोजना जाँच समिति (एसएलपीएससी): आरकेवीवाई परियोजना प्रस्तावों की छानबीन के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त या मुख्य सचिव द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी। एसएलपीएससी के अन्य सदस्यों का निर्णय राज्य मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

6.2 एसएलपीएससी आरकेवीवाई दिशानिर्देशों की प्रतिपुष्टि और यह कि वे एसएपी/ डीएपी से प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजना प्रस्तावों की छानबीन की जाएगी इसके अलावा उन घटकों के संबंध में तकनीकी आवश्यकताओं/ मानकों और वित्तीय प्रतिमान को (लागत प्रतिमानों और सहायता पैटर्न) इत्यादि के साथ एक रूप होने जिन्हें संबंधित केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार स्कीमों में निहित किया गया है (जैसा कि पैरा 4.6 में भी रेखांकित किया गया है)।

6.3 एसएलपीएससी विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को इसकी उपयुक्तता, डीएपी, एसएआईडीपी और एसएपी से इसका जुड़ाव और आरकेवीवाई दिशानिर्देशों से इसके अनुवर्तन की भी छानबीन करेगी।

6.4 एसएलएससी, एसएलपीएससी से परियोजनाओं की सिफारिश करने से पूर्व आगे जांच और सुनिश्चित करेगी कि :

- (क) प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार की अन्य स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध और आरकेवीवाई अम्ब्रेला के अंतर्गत उन्हें लाए जाने से पूर्व प्रयुक्त निधियों को मूल्यांकन किया गया है ;
- (ख) आरकेवीवाई परियोजनाओं/ कार्यकलापों में राज्य/ केन्द्रीय सरकार की अन्य स्कीमों/ कार्यक्रमों की तुलना में सहायता/ क्षेत्र व्यक्ति की कोई द्विरावृत्ति या अतिव्याप्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए;
- (ग) आरकेवीवाई निधियां राज्य/ केन्द्र सरकार की अन्य चालू स्कीमों/ कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त या पूरा करने के लिए सब्सिडी के रूप में प्रस्तावित नहीं की जाती है;
- (घ) राज्य कृषि अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एसएआईडीपी) तैयार किया गया है;
- (ङ.) 'उत्पादन वृद्धि' और परिसंपत्ति अवसंरचना शाखाओं सहित परियोजनाओं की कुल कीमत का कम से कम 25 प्रतिशत व्यापक जिला कृषि योजना (सीडीएपी) से निकाला गया है और जिला स्तर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) द्वारा अनुमोदित की गई हैं ताकि फील्ड स्तर अंतरालों को सही रूप में हल किया जा सके;
- (च) डीपीआर ने मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए प्रावधानों शामिल किए गए हैं;
- (छ) आरकेवीवाई के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की अनापति प्राप्त कर ली गई है;
- (ज) अन्य राज्य/ केन्द्रीय स्कीमों के साथ अभिबिन्दुता का प्रयास किया गया है; और
- (झ) किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) सहित संबद्ध क्षेत्रों के लिए अनुशंसित परियोजनाएं पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करती हैं।

6.4(क) से 6.4(झ) में शामिल मदों की जांच सूची तैयार की जाएगी और एसएलएससी कार्यसूची टिप्पणी के साथ संलग्न किया जाएगा।

7.0 राज्य स्तर स्वीकृति समिति (एसएलएससी):

7.1 राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर स्वीकृति समिति (एसएलएससी) प्राधिकरण में निविष्ट की जाती है जो भारत सरकार के प्रतिनिधियों की प्रतिभागी बैठक में आरकेवीवाई की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत एसएलएससी द्वारा अनुसंधित की गई विशिष्ट परियोजनाओं की स्वीकृति करती है। एसएलएससी बैठकों का कोरम भारत सरकार के कम से कम एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बीना पूरा नहीं होगा। एसएलएससी की रचना परिशिष्ट-ड. पर है।

7.3 एसएलएससी अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- (क) आरकेवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति;
- (ख) आरकेवीवाई की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत इसके द्वारा स्वीकृत की गई प्रत्येक परियोजनाओं की प्रगति मानीटर करना;
- (ग) स्कीम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएं/ स्कीमें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की गई हैं।
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रयासों या संसाधनों की द्विरावृत्ति नहीं हुई है;
- (ङ.) परियोजनाओं का कार्यान्वयन मानीटर करने के लिए फील्ड अध्ययन प्रारंभ/ चालू करना;
- (च) आवश्यकता अनुसार समय-समय पर अध्ययनों का मूल्यांकन प्रारंभ करना;
- (छ) राज्यों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के महत्व की कोई अन्य परियोजना चलाना;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं में वित्तीय पैटर्न/ सब्सिडी सहायता के संबंध में कोई अंतर-जिला विसंगतियां नहीं हैं; और
- (झ) यह सुनिश्चित करना कि आरकेवीवाई दिशानिर्देशों के अलावा भारत सरकार की सभी विस्तार प्रक्रियाओं और अनुदेशों का इस प्रकार से अनुसरण किया गया है ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर उठाए गए खर्च व्यय में किफायत के संबंध में न्यूनतम बताया गया है और वित्तीय संपत्ति, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के अनुरूप भी है।

7.4 एसएलएससी बैठक जब भी आवश्यक होगी की जाएगी परंतु एक तिमाही में कम से कम एक बार की जाएगी।

8.0 परियोजनाओं की तैयारी एवं स्वीकृति:

8.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर): आरकेवीवाई एक परियोजना आधारित स्कीम है। इस प्रकार, सभी आवश्यक संघटकों अर्थात् सहायता अध्ययन, कार्यान्वयन एजेंसियों की योग्यताओं, प्रत्याशित लाभांश (उत्पाद/ परिणाम) जो किसानों/ राज्य को प्रवाहित किए गए, कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय-सीमा इत्यादि को समाविष्ट करते हुए प्रत्येक आरकेवीवाई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करनी होंगी। 25 करोड़ से अधिक लागत वाली विशाल परियोजनाओं के संबंध में, डीपी आर तीसरे पक्ष तकनीकी-वित्तीय मूल्यांकन के अध्याधीन है तथा इसे टिप्पणी/ अवलोकन प्राप्त करने हेतु संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए अग्रिम रूप में पूरी तरह वितरित किया गया है ।

8.2 कृषि, पशुपालन, डेयरिंग तथा मात्स्यिकी आदि से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए डी पी आर में यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय/ राज्य सरकार की अन्य योजना स्कीमों के अंतर्गत उन्हीं क्षेत्रों में इसी तरह की गतिविधियां आरम्भ करने अथवा/ तथा

वित्तपोषण की पुनरावृत्ति न हो। डीपी आर में प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित वर्षवार वास्तविक संवित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

8.3 यह वानिकी तथा वन्य जीव तथा पौध रोपण (यथा, कॉफी, चाय तथा रबड़) को छोड़कर कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों सहित निश्चित समय-सीमा तथा स्पष्ट उद्देश्यों के साथ विशिष्ट परियोजनाएं आरंभ करने हेतु राज्यों के लिए अनुमत रहेगा।

8.4 नोडल विभाग (पैरा 9.1 का संदर्भ) राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति (एसएलपीएससी) के समक्ष आरकेवीवाई परियोजना प्रस्ताव रखेगा जिसे पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद एसएलएससी के समक्ष पात्र तथा जांच किए गए परियोजना प्रस्ताव अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

8.5 एसएलएससी सामान्य रूप में आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्य के आबंटन की राशि के बराबर परियोजनाओं को अनुमोदित करेगा। किसी भी परिस्थिति में एसएलएससी वर्ष (बहुवर्षीय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु संबंधित वर्ष में वित्तपोषित किए जाने वाले लागत को ध्यान में रखने के बाद) में वित्तपोषण के लिए आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्य के आबंटन का 150% से अधिक परियोजनाएं अनुमोदित कर सकता है। यदि परिव्यय के साथ परियोजनाएं राज्य के लिए आवंटन से अधिक हैं और एसएलएससी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं तो एस एल एस सी की बैठक के कार्यवृत्त में वरीयता दर्शाई जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ लागत तथा वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को उल्लिखित किया जाएगा। जिसे वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु आरंभ किया जाएगा, जो वर्ष में राज्य के लिए निधियों के कुल आबंटन के उच्चतम सीमा तक सीमित है। यदि एक वित्तीय वर्ष से अधिक कार्यान्वयन अवधि वाले परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय वर्ष-वार व्यय के चरण तथा लक्ष्यों/ उपलब्धियों को एसएलएससी की बैठक में विशेष रूप में उल्लिखित किया जाएगा।

8.6 आरकेवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय एसएलएससी यह भी सुनिश्चित करेगी कि छोटे तथा सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) शारिरिक रूप से अक्षम, महिला तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित होगा, जिससे कार्यान्वयन का लाभ सरकारी दिशा निर्देशों तथा नीतियों के अनुसरण में निर्दिष्ट लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा और उन्हें इसकी प्राप्ति हो। इसके अलावा,

एसएलएससी यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को आरकेवीवाई परियोजनाओं में वांछित सहायता दी जा रही है ।

9.0 आरकेवीवाई का आयोजन एवं कार्यान्वयन

9.1 स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग रहेगा । प्रशासनिक सुविधा तथा कार्यान्वयन को आसान करने के लिए राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु एक विशेष एजेंसी स्कीम की पहचान और गठन कर सकती है । जहां इस प्रकार की एजेंसी गठित/ अभिनामित की जाती है, वहां आरकेवीवाई के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य कृषि विभाग का होता है ।

9.2 ऐसी स्थिति में जहां राज्य एक नोडल एजेंसी को अभिज्ञात करते हैं, एजेंसी को चलाने की लागत, आरकेवीवाई आबंटन के विशेष स्कीमों को छोड़कर 1% सीमा तक पूरा किया जाएगा तथा यह दिशानिर्देशों के पैरा 11 में प्रदर्शित शर्तों के अन्वय में होगा ।

राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से 1% की सीमा से अधिक कोई भी प्रशासनिक व्यय को पूरा कर सकते हैं ।

9.3 कृषि विभाग/ नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे :-

- i) राज्य कृषि योजना (एसएपी) एवं राज्य कृषि अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम (एसएआईडीपी) तैयार करना तथा जिला कृषि योजनाओं (डीएपी) की तैयारी को सुनिश्चित करना ।
- ii) परियोजनाओं की तैयारी कार्यान्वयन, निगरानी तथा विभिन्न विभागों तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के साथ मूल्यांकन को प्रभावी रूप से समन्वित करना ।
- iii) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों का प्रबंधन तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के लिए निधियों का वितरण ।
- iv) कृषि एवं सहकारिता विभाग की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना । उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशात्मक प्रोफार्मा परिशिष्ट -च पर है ।

v) आरकेवीवाई प्रबंधन सूचना के आधार पर आईटी वेब समर्थित प्रणाली (आरकेवीवाई-एमआईएस) की प्रभावी उपयोगिता तथा नियमित रूप से अद्यतन करना ।

9.4 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, कृषि एवं सहकारिता विभाग के परियोजना विवरण तथा पर्याप्त संख्या (20 से कम नहीं) में एजेंडा की प्रतियों के साथ एस एल एस सी की बैठक के नोटिस को अग्रेषित करेगा, जिससे यह भारत सरकार के प्रतिनिधियों को तैयार होने तथा एसएलएससी बैठक में उद्देश्य पर सहभागिता के लिए समर्थ करने हेतु एसएलएससी की बैठक में 15 दिन से पहले पहुंचे ।

9.5 एक बार जब एसएलएससी परियोजनाओं को स्वीकृत करता है तो कृषि एवं सहकारिता विभाग केवल राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त करता है ।

9.6 राष्ट्रीय किसान नीति (2007) (पैरा II-VIII) की परिकल्पना के अनुसार, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को, आरकेवीवाई के कार्यान्वयन में विशेषरूप से , लाभार्थियों के चयन, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए । पीआरआई के लिए निधियों,कार्यों तथा कर्मियों के प्रभावी अंतरण हेतु अनुशंसित गतिविधि मैपिंग परिशिष्ट-छ पर है ।

10.0 निधियों की निर्मुक्ति

10.1 एसएलएससी के कार्यवृत्त की प्राप्ति पर, राज्य के प्रथम किश्त के रूप में 50% आरकेवीवाई का वार्षिक आबंटन किया जाएगा । जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की सूची तथा आरकेवीवाई डाटाबेस (आरडीएमआईएस) में उनकी प्रविशिष्ट के साथ नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा/ अथवा चल रही परियोजनाओं की निरंतरता का अनुमोदन होगा ।

10.2 यदि, अनुमोदित परियोजना की कुछ लागत, वार्षिक व्यय से कम है तो निधियां अनुमोदित परियोजना लागत के 50% के बराबर निर्मुक्त की जाएगी ।

10.3 दूसरी तथा अंतिम किश्त की निर्मुक्ति पर निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर विचार किया जाएगा:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष तक निर्मुक्त निधियों हेतु 100% उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी)

ख) चालू वर्ष के दौरान प्रथम किश्त में निर्मुक्त कम से कम 60% निधियों का व्यय तथा

ग) विशिष्ट प्रपत्र में अनुबद्ध समय सीमा में, तिमाही आधार पर, परिणाम के साथ साथ वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में कार्य निष्पादन रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण।

10.4 यदि कोई राज्य, निश्चित समय अवधि में इन कागजातों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो शेष निधियां बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को पुनः आबंटित कर दी जाएगी ।

10.5 नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना-वार लेखों को कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा देखा जाता है तथा ये सांविधिक लेखा परीक्षण के सामान्य प्रक्रिया के अधीन है ।आरकेवीवाई परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित सम्पत्ति का ध्यानपूर्वक परिरक्षण किया जाएगा तथा उस सम्पत्ति को, जिनकी अधिक लम्बे समय तक आवश्यकता नहीं है, नोडल विभाग को जहां तक सम्भव हो इसके लिए अंतरित किया जाएगा।

10.6 वित्त मंत्रालय के अनुमोदित तंत्र के अनुसार केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाएगी ।

10.7 नोडल एजेंसी/ विभाग को यह सुनिश्चित करेगी, कि स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता को अनुमोदित राज्य तथा जिला योजनाओं के अनुसरण में प्रयोग किया जाए । चूंकि आबंटन की दूसरी तथा अंतिम किश्त की राशि निधियों की उपयोगिता की प्रगति पर निर्भर करेगी, राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्मुक्त निधियों का तत्परता से उचित तरीके से उपयोग होता है तथा प्रगति रिपोर्ट शीघ्र ही कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजी जाती है । उपयोग में नहीं ली गई केन्द्रीय सहायता आगे की निधियों की निर्मुक्ति को रोक देगी।

11.0 प्रशासनिक खर्च एवं आकस्मिकताएं

11.1 राज्य प्रशासनिक खर्च वहन करने के लिए कुल आरकेवीवाई निधियों आरकेवीवाई की उपस्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियों को छोड़कर के 1% तक उपयोग हेतु अनुमत है जिसमें सलाहकार के लिए भुगतान, विभिन्न प्रकार के खर्च वहन करना, स्टॉफ लागत आदि शामिल है । तथापि, कोई भी नियमित पद सृजित नहीं किया जा सकता है, न ही कोई वाहन खरीदा जा सकता है।

11.2 कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय स्तर पर, निगरानी, मूल्यांकन तथा ऐसे प्रशासनिक आकस्मिकताओं के लिए जो विभिन्न समय पर उत्पन्न हो सकती हैं, आरकेवीवाई निधियों (आरकेवीवाई) उप-स्कीमों सहित) के 1% का समानुपात रखता है।

11.3 नोडल एजेंसी डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार/ सलाहकार एजेंसियों को किराए पर लेने के लिए प्राधिकृत है तथा डीपीआर को तैयार करने हेतु स्ट्रीम में 5% तक निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

12.0 निगरानी एवं मूल्यांकन

12.1 आरकेवीवाई - प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आरकेवीवाई-एमआईएस): कृषि एवं सहकारिता विभाग ने प्रत्येक परियोजना संबंधी अनिवार्य सूचना एकत्रित करने के लिए आरकेवीवाई हेतु एक वेब-आधारित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना की है। राज्य इस प्रणाली अधिमान्यतः पन्द्रह दिन के आधार पर में समय समय पर प्रस्तुति/ परियोजना आंकड़ों को अद्यतन करने हेतु राज्य उत्तरदायी होंगे, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र ([http : // www.rkvy.nic.in](http://www.rkvy.nic.in)) में आरकेवीवाई परियोजनाओं के परिणाम, निष्कर्ष तथा योगदान संबंधी चालू तथा अधिप्रमाणित आंकड़े प्रदान के लिए निरूपित है। चूंकि आरकेवीवाई-एमआईएस रिपोर्ट आन-लाइन निगरानी तथा अंतर-राज्य कार्य-निष्पादन के निर्णय के आधार पर होगी। राज्य इस प्रयोजनार्थ एक समर्पित आरकेवीवाई-एमआईएस कक्ष की स्थापना करे।

12.2 जहां तक संभव हो, इस स्कीम से सृजित सम्पत्तियों को भविष्य में राष्ट्रीय-जी आईएस प्रणाली में समेकन के लिए डिजिटल रूप से रखा जाना चाहिए और इसका जीआईएस पर मानचित्रण किया जाना चाहिए।

12.3 राज्य द्वारा तीन स्ट्रीमों अर्थात आरकेवीवाई (उत्पादन वृद्धि), आरकेवीवाई (अवसंरचना और परिसम्पत्तियां) एवं आरकेवीवाई (उप-स्कीमों) के तहत तृतीय पक्ष मानिट्रिंग और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का पच्चीस प्रतिशत (25%) अनिवार्य रूप से रखा जायेगा और कार्यान्वयक राज्यों द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

12.4 एसएलएससी द्वारा परियोजना लागत, परियोजना के महत्व के आधार पर अधिमानतः सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष उनकी पहली बैठक में मानिट्रिंग और मूल्यांकन की

कार्य योजना का चयन किया जायेगा । राज्य सरकार अपने राज्यों में कार्य के मानिटरन तथा मूल्यांकन करने हेतु किन्हीं प्रतिष्ठित एजेंसियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगी।

मानिटरिंग एवं मूल्यांकन से संबंधित अपेक्षित शुल्कों/ लागत को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों हेतु उनके द्वारा रखे गए एक प्रतिशत आवंटन से पूरा किया जायेगा ।

12.5 कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) आरकेवीवाई के कार्यान्वयन के संगामी मूल्यांकन हेतु समुचित तंत्र विकसित करेगा । डीएसी स्कीम के राज्य विशिष्ट/ / पैन इंडिया आवधिक कार्यान्वयन मानिटरिंग और/ अथवा मध्यकालिक/ अंतिम मूल्यांकन करने हेतु उचित एजेंसी को लगा सकता है ।

12.6 राज्यों के निष्पादन को इस मंत्रालय के परिणाम बजट दस्तावेज में प्रतिबिम्बित किया जायेगा ।

13.0 समाभिरूपता:

13.1 आरकेवीवाई कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के लिए राज्य योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता है और इस तरह से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) जैसी स्कीमों के साथ मिलाये जाने को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है । राज्य कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशु पालन, डेयरिंग एवं मात्स्यिकी विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) और अन्य प्रासंगिक मंत्रालयों/ विभागों अर्थात् खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय आदि की अन्य केन्द्रीय स्कीमों के साथ समाभिरूपता भी सुनिश्चित करेंगे । यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि स्थानीय/ पंचायत स्तर की आवश्यकताओं को जिला विकास योजनाओं में पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए, पंचायती राज मंत्रालय से भी समुचित रूप से परामर्श किया जायेगा । योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय साथ-साथ राज्यों के कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के समग्र योजना प्रस्तावों की वार्षिक योजना अनुमोदन प्रक्रिया के भाग के रूप में जांच करेंगे ।

14.0 कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार केवल उनको छोड़कर जो स्कीम में यथा आवश्यक वित्तीय प्रतिमान को प्रभावित कर रहे हैं, आरकेवीवाई प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में जहां जरूरी समझा जाए, परिवर्तन कर सकता है ।

15.0 ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू हैं ।

(NB: This is the Hindi version of RKVY Guidelines (2014) available at www.rkvy.nic.in. In case of any discrepancy between English and Hindi version of the guidelines, English version will prevail.)

परिशिष्ट-क

निर्दर्शन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निधियों के आवंटन हेतु कम्प्यूटिंग पात्रता ।

1. प्रत्येक राज्य केवल तभी आरकेवीवाई आवंटन प्राप्त करने का पात्र होगा, जब:
 - क) कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के इसकी कुल राज्य योजना के बेस लाईन शेयर (आरकेवीवाई निधियों को छोड़कर) व्यय को कम से कम बनाये रखा जाए ।
 - ख) जिला कृषि योजनाएं और राज्य कृषि योजनाएं तैयार कर ली गई हों ।
2. व्यय का बेस लाईन स्तर "पिछले वर्ष से पूर्व तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं अन्य अभिज्ञात संबंधित क्षेत्रों पर हुए प्रतिशत व्यय का न्यूनतम" होगा ।
3. राज्यों के पात्र होने के लिए "पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं अन्य अभिज्ञात संबंधित क्षेत्रों में व्यय का औसत प्रतिशत अंश" कम से कम बेस लाईन स्तर के बराबर होना चाहिए।
4. राज्य 'क' के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखा जा सकता है: (रु0 करोड़ में)

वर्ष	कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में व्यय (आरकेवीवाई निधियों को छोड़कर)	कुल योजना व्यय	कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में हुए कुल योजना व्यय का प्रतिशत
2009-10	492	10750	4.6
2010-11	709	11456	6.1
2011-12	605	13500	4.5
2012-13	1135	20000	5.7

5. बेस लाईन प्रतिशतता व्यय = पूर्ववर्ती तीन (3) वर्षों के दौरान न्यूनतम प्रतिशतता व्यय (आरकेवीवाई निधियों को छोड़कर) (2009-10, 10-11 एवं 11-12)= 4.5% (2011-12)
6. कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में व्यय का पिछले तीन वर्षों के शेयर का औसत (2012-13, 2011-12 एवं 2010-11): $16.3 / 3 = 5.43\%$
7. क्योंकि पिछले तीन वर्षों के व्यय का औसत प्रतिशतता शेयर (5.43% बेस लाईन प्रतिशतता व्यय (4.5%) से अधिक है; राज्य वर्ष 2013-14 हेतु आरकेवीवाई के तहत अनुदान का पात्र है बशर्ते इसने भी जिला कृषि योजनाएं (डीएपी) और राज्य कृषि योजना (एसएपी) तैयार कर ली हों । आरकेवीवाई के तहत वर्ष 2013-14 हेतु अंतर्राज्य आवंटन को योजना आयोग द्वारा दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट ख में उल्लिखित पैरामीटरों और अधिमान का उपयोग करके निकाला जायेगा।

परिशिष्ट-ख

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत निधियों का अंतर्राज्य आवंटन

- 1.0 आरकेवीवाई के तहत वार्षिक परिव्यय इन क्षेत्रों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए बेस लाईन प्रतिशतता व्यय के अलावा कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों हेतु राज्य बजटों में मुहैया कराई गई धनराशि पर निर्भर करेगा। आरकेवीवाई निधियों का अंतर्राज्य आवंटन निम्नलिखित पैरामीटरों और अधिमानों पर आधारित होगा:

क्र.सं.	मानदंड/ पैरामीटर	अधिमान
1	सभी पात्र राज्यों के निवल असिंचित क्षेत्र की तुलना में किसी राज्य में निवल असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत शेयर	15%
2	तिलहनों और दलहनों के तहत पिछले तीन वर्षों का औसत क्षेत्र	5%
3	पिछले पांच वर्षों हेतु कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के लिए राज्य की उच्चतम जीएसडीपी	30%
4	उस वर्ष से पहले के वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष में कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में व्यय में वृद्धि। (उदाहरणार्थ 2014-15 हेतु आवंटन वाले राज्य के शेयर के लिए पिछला वर्ष 2012-13 होगा और उससे पहला वर्ष 2011-12 होगा।	30%
5	उस वर्ष से पहले के वर्ष की तुलना में पिछले वर्षों में राज्यों द्वारा पशुपालन, मात्स्यिकी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर राज्य बजट से किए गए योजना और गैर-योजना व्यय में वृद्धि	10%
6	राज्य औसत उपज और संभावित उपजों के बीच उपज अंतर जैसाकि फ्रंट लाईन प्रदर्शन डाटा में उल्लिखित है।	10%

- 2.0 कृषि मंत्रालय, योजना आयोग से परामर्श करके भविष्य में प्रासंगिक होने वाले नये पैरामीटरों के आधार पर उपर्युक्त मानदंड/ अधिमान को संशोधित कर सकता है।
- 3.0 कुछ व्यय जिन्हें कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र पर होने वाले संबंधित व्यय से संबंधित पैरामीटर के प्रयोजनार्थ छोड़ा जाना चाहिए, निम्नलिखित हैं:

- (क) उत्पादन राजसहायताओं पर व्यय जैसे कि खाद्य राजसहायता से संबंधित, दूध की खरीद हेतु राजसहायता, खाद्यान्नों और अन्य फसलों आदि की खरीद पर बोनस;
- (ख) नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर व्यय। तथापि कृषि प्रयोजनों हेतु भंडारण और वेयरहाउस के निर्माण पर होने वाले व्यय को पैरामीटर 4 के प्रयोजन हेतु माना जायेगा।

- (ग) ब्याज छूट पर व्यय, बिजली और डीजल राजसहायता इत्यादि;
- (घ) किसानों को सीधे आय समर्थन, किसानों को ऋण राहत अथवा अन्य एक मुश्त राहत;
- (ङ) नीचे पैरा 4 में यथा शामिल को छोड़कर सिंचाई ।

4.0 कुछ व्यय जो कि कृषि क्षेत्र के विकास से सीधे संबंधित है, की पैरामीटर 4 के प्रयोजनार्थ कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र पर होने वाले व्यय में अनुमति दी जा सकती है ;

- क) समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) पर राज्य के शेयर को शामिल करते हुए पनधारा विकास पर व्यय;
- ख) कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों पर योजना और गैर योजना व्यय;
- ग) लघु सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास पर योजना व्यय; और
- घ) विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन यूनिटों के लिए या राज्यों द्वारा स्थापित स्वायत्त क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय विकास परिषदों जैसे बोरोलैंड क्षेत्रीय विकास परिषद आदि को अंतरित निधियों में से कृषि और समवर्गी क्षेत्रों पर किया गया व्यय ।

आरकेवीवाई के तहत फोकस का क्षेत्र (उत्पादन वृद्धि)

घटक/ गतिविधियां, जो आरकेवीवाई के तहत (उत्पादन वृद्धि) परियोजना आधारित सहायता के योग्य होंगी, का वर्णन निम्नलिखित है। यह एक निदर्शी सूची है तथा राज्य अन्य घटकों/ गतिविधियों का चुनाव कर सकते हैं परन्तु यह सुनिश्चित करें कि ये एसएपी तथा डीएपी में उचित रूप से प्रदर्शित हों।

- (क) मुख्य खाद्य फसलों जैसे गेहूं, धान, मोटे अनाज, छोटे कदन्न, दलहन, तिलहन का समेकित विकास: किसानों को प्रमाणित/ एचवाईबी बीजों की उपलब्धता; प्रजनक बीजों के उत्पादन; आईसीएआर, सार्वजनिक क्षेत्र बीज निगमों से प्रजनक बीजों की खरीद; आधारी बीजों का उत्पादन; प्रमाणित बीजों का उत्पादन; बीज उपचार; प्रदर्शन स्थलों पर किसान फील्ड स्कूल; किसानों को प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। अन्य फसलों जैसे गन्ना, कपास तथा अन्य फसल/ प्रजातियां जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, के विकास के लिए इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ख) कृषि मशीनीकरण: फार्म मशीनीकरण प्रयासों विशेष रूप से उन्नत तथा महिला अनुकूल उपकरणों, औजारों तथा मशीनरी के लिए वैयक्तिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा सकती है तथापि बड़े उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, कम्बाइन, हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, कॉटन पिकर आदि जिनका निजी स्वामित्व आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, के लिए सहायता दी जा सकती है। सहायता केवल आरकेवीवाई (अवसंरचना तथा सम्पत्ति) स्ट्रीम के तहत कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए सीमित होनी चाहिए।
- (ग) मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि के संबंध में गतिविधियां: किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण; सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन; प्रचार/ उपयोग साहित्य के मुद्रण सहित जैविक खेती के प्रोन्नयन के लिए किसानों को प्रशिक्षण; क्षारीय तथा अम्लीय जैसी स्थितियों से प्रभावित मृदा के सुधार के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।
- (घ) पनधारा क्षेत्रों में तथा के बाहर वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली का विकास: गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के किसानों को आजीविका प्रदान करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली (कृषि, बागवानी, पशुधन, मात्स्यिकी आदि) के प्रसार के लिए सहायता।
- (ङ) समेकित कीट प्रबंधन स्कीम: इसमें कीट प्रबंधन प्रणालियां; साहित्य/ अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के मुद्रण पर फार्म फील्ड स्कूलों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल होगा।

- (च) विस्तार सेवाओं को प्रोत्साहन: इसमें कौशल विकास के लिए नई पहलें तथा कृषक समुदाय को प्रशिक्षण तथा मौजूदा राज्य कृषि विस्तार प्रणाली का पुनरोद्धार शामिल होगा।
- (छ) बागवानी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित गतिविधियां: नर्सरी विकास तथा अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध होगी ।
- (ज) पशुपालन तथा मात्स्यिकी विकास गतिविधियां: चारा उत्पादन में सुधार, पशु तथा भैंसों का आनुवांशिक अपग्रेडेशन, दूध उत्पादन में वृद्धि, चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के आधार में वृद्धि, पशुधन स्वास्थ्य में सुधार, कुक्कुट पालन विकास, छोटे पशुओं तथा बड़े हुए मछली उत्पादन के विकास के लिए सहायता उपलब्ध होगी ।
- (झ) किसानों के लिए अध्ययन दौरा: किसानों का देश भर में विशेष रूप से अनुसंधान संस्थानों, मॉडल फार्मों आदि का अध्ययन दौरा ।
- (ट) जैविक तथा जैव उर्वरक: ग्राम स्तर पर विकेन्द्रित उत्पादन तथा उसके विपणन आदि के लिए सहायता । बेहतर उत्पादन के लिए इसमें वर्मी कम्पोस्टिंग तथा बेहतर प्रौद्योगिकियों को शुरू करना शामिल है ।
- (ठ) रेशम पालन: कोकून तथा रेशम धागा उत्पादन तथा विपणन के लिए विस्तार प्रणाली के साथ कोकोन उत्पादन के स्तर पर रेशम पालन ।

उपर्युक्त सूची पूर्ण नहीं है इसलिए स्कीमें जो कृषि, बागवानी तथा संबद्ध क्षेत्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं परन्तु (क) से (ठ) के तहत वर्गीकृत नहीं की जा सकती, को भी इस स्ट्रीम के तहत प्रस्तावित किया जा सकता है । तथापि, अवसंरचना तथा सम्पतियों के निर्माण/ सुदृढीकरण के लिए आरकेवीवाई (अवसंरचना तथा सम्पति) स्ट्रीम के तहत कोष दिया जाना चाहिए ।

परिशिष्ट-ग 2

परियोजनाएं जिन्हें आरकेवीवाई के तहत पोषित किया जा सकता है, की निदर्शी सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	अवसंरचना का विवरण
1	बागवानी	<p>नर्सरियां टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं सामुदायिक टैंक/ खेत तालाब/ प्लास्टिक/ आरसीसी नालियों से खेत पर जल संसाधन ग्रीन हाउस/ पोली हाउस/ शेड नेट हाउस संरचना सेनिट्री तथा फाईटोसेनिट्री अवसंरचना आईएनएम/ आईपीएम अवसंरचना जैसे रोग पूर्वानुमान इकाईयां, पौध स्वास्थ्य क्लिनिक, लीफ/ टिश्यू विश्लेषण प्रयोगशालाएं, जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां संतुलित वातावरण भंडारण शीत भंडारण/ पूर्व शीतलन/ रेफ्रीजरेटिड वैन, शीत श्रृंखला अवसंरचना पकाई/ क्योरिंग कक्ष प्राथमिक/ अल्पतम प्रसंस्करण इकाईयां टर्मिनल/ थोक/ ग्रामीण मण्डी संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग आदि के लिए प्रचालन अवसंरचना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बागवानी उत्पाद पर संस्करण से संबंधित अवसंरचना</p>
2	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	<p>मृदा तथा जल संरक्षण गतिविधियां (टेरेसिंग, गुल्ली नियंत्रण उपाय, स्पिल्ल वे, चेक डेम, स्पॉर, डायवर्सन ड्रेन, प्रोटक्शन वाल आदि । समस्या मृदा (अम्लीय/ (अम्लीय/ क्षारीय/ खारी/ / जल प्लावित) का सुधार</p>
3	कीट प्रबंधन तथा कीट नाशक गुणवत्ता नियंत्रण	<p>जैव नियंत्रण एजेंटों के उत्पादन के लिए प्रयोगशालाएं राज्य कीटनाशी अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशालाएं राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं जैव कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं</p>

		बीज उपचार ड्रम तथा रसायन
4	मृदा पोषक तत्व प्रबंधन उर्वरक जैव उर्वरक/ जैविक खेती	नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सूक्ष्म पोषक तत्व परीक्षण सुविधाओं के साथ मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एफक्यूसीएल) की स्थापना मौजूदा एफक्यूसीएल का सुदृढीकरण जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयां फल, सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयां
5	पशुपालन डेयरी	वीर्य संग्रहण तथा कृत्रिम गर्भाधान (एआई) इकाईयां/ उत्पादन केन्द्र प्रजनन फार्म पशुओं के उपचार के लिए डिस्पेंसरी/ अस्पताल टीका उत्पादन इकाईयां चल इकाईयां सहित रोग जांच प्रयोगशाला पशु एम्बुलेंस प्रशीतीत वीर्य के भंडारण तथा परिवहन के लिए शीत श्रृंखला चारा ब्लॉक मशीन युक्त ट्रैक्टर वैज्ञानिक ढंग से प्रसंस्करण/ उपयोग के लिए मृत पशुओं का संग्रह करने के लिए शव प्रसंस्करण संयंत्र पशु बूचड़खानों* तथा पशुधन/ पशुधन उत्पादों के लिए बाजार का आधुनिकीकरण दुग्ध संग्रह केन्द्र तथा अवसंरचना: मिल्किंग मशीनों (एकल/ द्वि बाल्टी) का क्रय स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाईयां (एएमसी) के साथ दुग्ध प्रशीतन / थोक दुग्ध शीत केन्द्रों (बीएमसी) की स्थापना दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयां की स्थापना/ आधुनिकीकरण/ सुदृढीकरण दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के लिए शीत भंडारण सुविधा का सुदृढीकरण/ विस्तार इन्सुलेटेड/ रेफ्रिजरेटिड परिवहन वाहनों की खरीद

	मात्स्यिकी	<p>दुग्ध पार्लर/ दुग्ध बूथों की स्थापना दुग्ध प्रशीतन/ दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों में प्रयोगशाला सुविधा का सुदृढीकरण पशु आहार भंडारण गोदाम की स्थापना पशु आहार संयंत्र की स्थापना/ सुदृढीकरण दुधारू पशुओं के लिए पशु शेड की स्थापना दुग्ध प्रशीतन/ दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों पर ईईपी की स्थापना/ सुदृढीकरण</p> <p>मत्स्य तालाब/ जलाशय मत्स्य बीज हेचरी विपणन अवसंरचना चल परिवहन/ रेफ्रिजरेटिड वैन शीत भंडारण तथा बर्फ संयंत्र</p>
6	विपणन एवं पोस्ट हार्वेस्ट	<p>फल/ सब्जी मण्डी/ वितरण केन्द्र कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) सहित बाजार अवसंरचनात्मक सुविधाएं विशेषीकृत भंडारण सुविधाओं जैसे प्याज भंडारण गोदामों का निर्माण मण्डी तथा वायदा बाजार और ई-बोली सहित इलेक्ट्रानिक व्यापार किसान सेवा केन्द्र खाद्यान्न खरीद केन्द्र ई-किसान भवन/ इंटरनेट कयोस्क ग्रेडिंग लाईन सहित ग्रेडिंग गुणवत्ता नियंत्रण पैकिंग</p>
7	बीज	<p>बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं बीज प्रसंस्करण सुविधाएं डिह्यूमिडिफाइड रेफ्रिजरेटिड बीज भंडारण गोदामों सहित बीज भंडारण गोदाम बीज प्रमाणन अभिकरण तथा प्रमाणन अवसंरचना बीज बहुलीकरण फार्म</p>

8	कृषि मशीनीकरण	कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्र कृषि मशीन परीक्षण केन्द्र
9.	कृषि विस्तार	किसान कॉल सेंटर एटीएमए अवसंरचना ज्ञान/ प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र
10	कृषि अनुसंधान	अनुसंधान अवसंरचना कृषि विज्ञान केन्द्र का सुदृढीकरण (केवीकेस)
11	लघु / सूक्ष्म सिंचाई	उथले कुएं एवं खुदे हुए कुएं ट्यूब कुएं (केन्द्रीय जल भू बोर्ड के द्वारा चिन्हित डार्क / ग्रे/ क्रिटिकल क्षेत्र को छोड़कर) रिसन एवं लघु सिंचाई टैंक फार्म तालाब ड्रिप एवं स्प्रिन्कलर सिंचाई पद्धति फील्ड चैनल पाइप के माध्यम से जल सुविधा पद्धति

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार/ पशु-पालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के मौजूदा मानदंड लागू होंगे ।

टिप्पण :

1. खाद्य प्रसंस्करण इकाई, एमओएफपीआई के विभिन्न स्कीमों के तहत विशेष रूप से ऐसे उद्योगों जो सहायता प्राप्त करते हैं, आरकेवीवाई के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे ।
2. कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र में एसएयूस/ आईसीएआरस के माध्यम से राज्य विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं केवल उत्पादन वृद्धि स्ट्रीम के तहत शुरू की जा सकती है ।
3. अवसंरचना एवं परिसम्पत्ति स्ट्रीम राज्य सहायता हेतु समूह दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर देती है । तदनुसार, गैर विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में राज्य सहायता के स्तर को कम से कम लाभार्थियों / क्षेत्रों के उच्च कवरेज तक रखा जाना चाहिए ।

4. राज्य को पणधारी समूह/ कृषक उत्पादन संघों (एफपीओ) का गठन करना चाहिए तथा उनके सृजित परिसम्पत्ति के नियोजन, निष्पादन तथा भविष्य के रख रखाव में शामिल करना चाहिए।

परिशिष्ट-घ

परियोजना जो आरकेवीवाई के तहत वित्त-पोषित नहीं की जानी चाहिए की निदर्शी सूची

1. किसी भी प्रकार की चक्रीय निधि/ कोरपस निधि का सृजन/ टॉपिंग;
2. परिसम्पत्ति के रख-रखाव या ऐसे किसी आवर्ती-खर्च के प्रति खर्च;
3. स्थायी/ अर्ध-स्थायी कर्मचारियों के वेतन, परिवहन, यातायात भत्ता (टीए), दैनिकी भत्ता (डीए) के प्रति खर्च फिर भी, ऑउटसोर्स/ ठेके पर आधारित व्यक्तियों के हाईरिंग के संबंध में एसएलएससी के अनुमोदन से प्रशासनिक खर्च हेतु निर्धारित आवंटन 1 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
4. पीओएल (पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेन्ट) के संबंध में खर्च;
5. अन्य केन्द्रीय/ राज्य-स्कीमों के संदर्भ में वित्त पोषित राज्यों के शेयर और/ या टॉपिंग अप राज सहायता स्तर तक;
6. बाहर के किसानों का अध्ययन दूर सहित विदेशी दौरे/ दूर;
7. वाहनों की खरीद;
8. ऋण-माफी, ब्याज-छूट, बीमा-प्रीमियम का भुगतान, किसानों को प्रतिपूर्ति एवं विपत्ति राहत खर्च, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बाद अतिरिक्त बोनस;
9. भारत सरकार के किसी भी स्कीम/ कार्यक्रमों के तहत निजी क्षेत्रों/ एनजीओ के बाहर जो अनुनय हो, में परिसम्पत्तियों का सृजन/ सुदृढीकरण।

परिशिष्ट- ड.

राज्य स्तर मंजूरीदाता समिति का गठन (एसएलएससी)

मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
कृषि उत्पादक आयुक्त / प्रधान सचिव (कृषि)	-	उप-सभापति
सचिव, वित्त	-	सदस्य
सचिव, योजना	-	सदस्य
सचिव, मात्स्यिकी	-	सदस्य
सचिव, पशुपालन	-	सदस्य
सचिव, पर्यावरण एवं वानिकी	-	सदस्य
सचिव, पंचायती राज	-	सदस्य
सचिव, ग्रामीण विकास	-	सदस्य
सचिव, जल संसाधन/ सिंचाई/ लघु-सिंचाई	-	सदस्य
निदेशक, कृषि	-	सदस्य
निदेशक, बागवानी	-	सदस्य
निदेशक, पशु-पालन	-	सदस्य
निदेशक, मात्स्यिकी	-	सदस्य
कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि, भारत सरकार (अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर रैंक से नीचे न हो)	-	सदस्य
पशुपालन, दुग्ध एवं मात्स्यिकी विभाग के प्रतिनिधि, भारत सरकार (अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर रैंक से नीचे न हो)	-	सदस्य
राज्य कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि	-	सदस्य
योजना आयोग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
सचिव, कृषि	-	सदस्य-सचिव

टिप्पण :

1. एसएलएससी कृषि अनुसंधान संघों, कृषि के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एनजीओ, प्रमुख जिलों के उप-आयुक्त तथा अग्रणीय किसानों में से दो अधिक सदस्यों का चयन कर सकते हैं।
2. एसएलएससी बैठक के लिए कोरम भारत सरकार के कम से कम एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा।

उपयोग प्रमाण पत्र का प्रपत्र

क्र.सं.	पत्र सं. और दिनांक	राशि
	कुल	

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हाशिए में दिए गए इस मंत्रालय/ विभाग के पत्र सं. के तहत.....के पक्ष में वर्ष..... के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि.....को और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के कारण बचे.....रूप में से..... रूप को..... उद्देश्य के लिए उपयोग कर लिया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और कि वर्ष के अंत में शेष अप्रयुक्त राशि..... रूप के शेष को सरकार को (सं.....,दिनांक..... द्वारा) वापस जमा करा दिया गया है / अगले वर्ष..... के दौरान दिए जाने वाले सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जाएगा ।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र में, यह प्रदर्शित होना चाहिए कि क्या विनिर्दिष्ट, मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्य जो उपयोग की गई धन राशि से प्राप्त किए जाने चाहिए थे, क्या वह वास्तव में प्राप्त कर लिए गए हैं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं । उसमें आदान आधारित निष्पादन आकलन के बजाए परिणाम आधारित निष्पादन आकलन होना चाहिए ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों के आधार पर सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत् ढंग से पूरा कर लिया गया है / पूरा किया जा रहा है तथा मैंने यह जानने के लिए कि इसका उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य से पैसा संस्वीकृत किया गया था , निम्नलिखित जांच की है ।

की गई जांचों के प्रकार

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

हस्ताक्षर

पदनाम
दिनांक

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए निधि के प्रभावी, अंतरण कार्य और कर्मियों का संस्तुत कार्यकलाप मानचित्रण

आरकेवीवाई के कार्यों का मानचित्रण

क्र. सं.	कार्यकलाप विवरण		राज्य सरकार	जिला योजना समिति (डीपीसी)	स्थानीय सरकार और नियोजन निकाय			उपभोक्ता समूह एसएचजी आदि
					पंचायती राज प्रणाली/ संस्थान			
	कार्यकलाप वर्ग	केन्द्र सरकार			जिला पंचायत	मध्यवर्ती पंचायत	ग्राम पंचायत	
1.	मानकों की स्थापना	डीएसी-राज्यों में आरकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को जारी करना	स्थानीय भाषा में दिशानिर्देशों को जारी करना/ अनुवाद करना					
2.	नियोजन	डीएसी और नियोजन आयोग : एसएपी की तैयारी के लिए ढांचा प्रदान करना	जिला कृषि योजनाओं (डीएपी) का समेकन करके एसएपी की तैयारी	स्थान विशिष्ट कृषि जलवायु स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों आदि को ध्यान में रखते हुए डीएपी के गठन में शामिल किया जाएगा	व्यापक जिला कृषि योजनाओं के गठन में जिला कृषि योजना इकाई (डीएपीयू) को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा	डीएपी के लिए आदानों को उपलब्ध कराने में ब्लाक/ तालुका कृषि योजना इकाई(बीएपीयू/ टीएपीयू) को शामिल किया जाएगा ।	समूहों की पहचान / लाभार्थियों के चयन में ग्राम कृषि योजना इकाई(वीएपीयू) को शामिल किया जाएगा।	
3.	परियोजनाओं का कार्यान्वयन (प्रत्येक राज्य द्वारा शुरू किए गए प्रति सेक्टरों के अनुसार फसल, बागवानी विकास, सूक्ष्म लघु सिंचाई, पशुपालन, रेशम उत्पादन आदि	डीएसी-राज्यों को निधियों की निम्नलिखित	कार्यान्वयन विभागों/ एजेंसियों को निधियों की निम्नलिखित	निधियों की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता	कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श करके परियोजनाओं के स्थल/ स्थान के चयन में शामिल किया जाएगा	परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थान/ ग्रामों के चयन में शामिल किया जाएगा	सामूहिक दृष्टिकोण पर आधारित लाभार्थियों के चयन में शामिल किया जाएगा (तथापि, आरकेवीवाई में वर्ष दर वर्ष कोई भी लाभार्थी को दोहराया नहीं जाना चाहिए)	समाज के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिला और कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
4.	परियोजनाओं	प्रभाव मूल्यांकन	समवर्ती	पर्यवेक्षण	पालिसी	आरकेवीवाई	सामाजिक	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): XII वीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिचालनात्मक दिशानिदेश(2014)

की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन		मूल्यांकन	कार्यान्वयन	तैयार किए जाने और नियोजन के लिए फीडबैक प्रदान करते हुए जिले में आरकेवीवाई परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए तिमाही समीक्षा बैठक	हस्ताक्षरों की प्रगति की मॉनिटरिंग और डीएपी को फीडबैक प्रदान करना	लेखा परीक्षा ग्राम सभा स्तर पर की जाएगी	
---------------------------	--	-----------	-------------	---	---	---	--

डीएपी - कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, डीएपी - जिला कृषि योजना, एसएचजी - स्वयं सेवा समूह, एसएपी - राज्य कृषि योजना

आरकेवीवाई वित्त मानचित्र

क्र. सं.	स्कीम उप घटक/ वित्तपोषण स्ट्रीम	आवंटन (रु. करोड़ में)	प्रतिशत ता	मानचित्रण करने का स्तर, कार्य के मानचित्रकरण कार्यकलाप पर आधारित (आवंटन का प्रतिशत)				टिप्पणी
				केन्द्र	राज्य	स्थानीय सरकार		
			जिला पंचायत			मध्यवर्ती पंचायत	ग्राम पंचायत	उपभोक्ता समूह/ सिविल सोसाइटी
राज्यों द्वारा आरकेवीवाई के तहत परियोजनाओं/ निधियों की क्षेत्रवार और जिलावार आवंटन किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए आवंटित परियोजनाओं के अनुसार पंचायत निकायों को राज्य द्वारा निधियों का अंतरण किया जाएगा।								